



IRCON INTERNATIONAL LIMITED

RELATED PARTY TRANSACTIONS POLICY

(Updated in January 2025)

1. INTRODUCTION

This Policy has been formulated in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as “**Act**”) and Regulation 23 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and as amended from time to time (hereinafter referred to as “**Listing Regulations**”).

2. SCOPE AND PURPOSE OF THE POLICY

The objective of this Policy is to set out (a) the materiality thresholds for Related Party Transactions and; (b) the manner of dealing with Related Party Transactions based on the Act and Listing Regulations.

3. DEFINITIONS

3.1 “**Act**” shall mean the Companies Act, 2013 and rules made thereunder including any modifications, clarifications, circulars or re-enactment thereof.

3.2 “**Arm’s Length Transaction**” means a transaction between two related parties that is conducted as if they were unrelated, so that there is no conflict of interest as defined in explanation (b) to Section 188 (1) of the Act.

3.3 “**Associate Company**” means associate company as defined in Section 2(6) of the Act or under the applicable accounting standards.

3.4 “**Audit Committee or Committee**” means a Committee of Board of Directors of the Company constituted under provisions of Listing Regulations and the Act.

3.5 “**Board**” means Board of Directors of the Ircon International Limited, as constituted from time to time.

3.6 “**Company**” means Ircon International Limited (**IRCON**).

3.7 “**Key Managerial Personnel**” mean key managerial personnel as defined under Section 2(51) of the Act.

3.8 “**Listing Regulations**” means the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time.

3.9 “**Material Modification**” in relation to a Related Party Transaction approved by the Audit Committee or a Material Related Party Transaction approved by the shareholders as the case may be, means any variation having an impact on the monetary limits already approved by the Audit Committee or shareholders, exceeding 25% of the originally approved transaction.

Provided that change in the value of RPT on account of following shall not be considered as material modification:

1. Change in quantity or rate of the existing RPT due to the reasons beyond the control of the Related Parties; and
2. Change due to revision / imposition of statutory levies like taxes, duties, etc.”

3.10 “**Material Related Party Transaction**” means a transaction with a Related Party shall be considered material if the transaction(s) to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds rupees one thousand crore or ten percent of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

Notwithstanding the above, a transaction involving payments made to a Related Party with respect to brand usage or royalty shall be considered material, if the transaction(s) to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds 5% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the Company.

This sub-limit would be considered within overall 10% limit to determine Material RPTs.

3.11 “Ordinary Course of Business” includes but not limited to a term for activities that are necessary, normal, and incidental to the business. These are common practices and customs of commercial transactions. In law, the ordinary course of business covers the usual transactions, customs and practices of a certain business and of a certain firm. Indicative factors for determining term ordinary course of business:

- a. is normal or otherwise remarkable for your particular business (i.e., features in your system, processes, advertising, staff training, etc.);
- b. is frequent and regular;
- c. involves significant amounts of money;
- d. is a source of income for your business;
- e. involves significant allocation of resources;
- f. is involved in a service or product that is offered to customers;
- g. activity covered in the objects clause of the Memorandum of Association;

3.12 “Policy” means Related Party Transaction Policy of IRCON.

3.13 “Related Party” means a related party as per definition under Listing Regulations, as amended from time to time, and means as defined under section 2 (76) of the Act or under the applicable Accounting Standards:

Provided that:

- a) any person or entity forming a part of the promoter or promoter group of the Company; or
- b) any person or any entity, holding equity shares:
 - (i) of 20% or more; or
 - (ii) of ten per cent or more, w.e.f 01.04.2023.in the Company either directly or on a beneficial interest basis as provided under Section 89 of the Act, at any time, during the immediately preceding financial year;

shall be deemed to be a related party.

3.14 “Related Party Transaction” (RPT) means RPT as per definition of Listing Regulation, as amended from time to time, and means any transaction involving a transfer of resources, services or obligations between:

- (i) The Company or any of its subsidiaries on one hand and a related party of the Company or any of its subsidiaries on the other hand; or
- (ii) The Company or any of its subsidiaries on one hand, any other person or entity on the other hand, the purpose and effect of which is to benefit a related party of the Company or any of its subsidiaries, w.e.f. 01.04.2023;

regardless of whether a price is charged and a transaction with a related party shall be construed to include a single transaction or a group of transactions in a contract.

Provided that the following shall not be a related party transaction:

- a) the issue of specified securities on a preferential basis, subject to compliance of the requirements under the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
- b) the following corporate actions which are uniformly applicable/offered to all shareholders in proportion to their shareholding:
 - (i) payment of dividend;
 - (ii) subdivision or consolidation of securities;
 - (iii) issuance of securities by way of a rights issue or a bonus issue; and
 - (iv) buy-back of securities.
- c) retail purchases from the Company or its Subsidiary Company by its directors or its employees, without establishing a business relationship and at the terms which are uniformly applicable/offered to all employees and directors.

3.15 “Relative” means a relative as defined in Section 2(77) of the Act.

3.16 “Subsidiary Company” means subsidiary company as defined in Section 2(87) of the Act.

Any other word(s) or expression(s) used in this Policy and not defined herein shall have the same meaning as defined in the Act including any statutory modification or re-enactment thereof or Rules made thereunder, Listing Regulations, Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 or the Depositories Act, 1996 and/or the rules or regulations made thereunder or any other relevant legislation/ law applicable to the Company.

4. APPROVAL OF RELATED PARTY TRANSACTIONS

4.1 Approval of the Audit Committee

All Related Party Transactions and subsequent Material Modifications shall require prior approval of the Audit Committee and only those members of the Audit Committee, who are independent directors, shall approve the Related Party Transactions.

Further, in terms of Regulation 23 (2) of the Listing Regulations:

1. A related party transaction to which any subsidiary of IRCON is a party but IRCON is not a party, shall require prior approval of the Audit Committee if the value of such transaction whether entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ten per cent of the annual consolidated turnover, as per the last audited financial statements of the listed entity;
2. w.e.f. 01.04.2023, a related party transaction to which any subsidiary of IRCON is a party but IRCON is not a party shall require prior approval of the Audit Committee, if the value of such transaction whether entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ten per cent of the annual standalone turnover, as per the last audited financial statements of the subsidiary;
3. However, in case of Related Party Transaction of a listed subsidiary of IRCON (where IRCON is not a party), prior approval of the Audit Committee of the listed subsidiary of IRCON shall suffice.
4. Remuneration and Sitting Fees paid by the Company or its Subsidiary Company to its Director, Key Managerial Personnel or Senior Management, except who is part of promoter or promoter group, shall not require approval of the Audit Committee provided that the same is not material in terms of the provisions of Regulation 23(1)

of Listing Regulations.

5. The members of the Audit Committee, who are Independent Directors, may ratify Related Party Transactions within three months from the date of the transaction or in the immediate next meeting of the Audit Committee, whichever is earlier, subject to the following conditions:
- (i) the value of the ratified transaction(s) with a Related Party, whether entered into individually or taken together, during a financial year shall not exceed rupees one crore;
 - (ii) the transaction is not material in terms of the provisions of Regulation 23(1) of Listing Regulations;
 - (iii) rationale for inability to seek prior approval for the transaction shall be placed before the Audit Committee at the time of seeking ratification;
 - (iv) the details of ratification shall be disclosed along with the disclosures of Related Party Transactions in terms of the provisions of Regulation 23(9) of Listing Regulations;
 - (v) any other condition as specified by the Audit Committee:

Provided that failure to seek ratification of the Audit Committee shall render the transaction voidable at the option of the Audit Committee and if the transaction is with a Related Party to any director, or is authorised by any other director, the director(s) concerned shall indemnify the Company against any loss incurred by it.

6. However, as per Rule 6A of the Companies (Meeting of Board and its Powers) Rules, 2014, as amended from time to time and the Listing Regulations, the Audit Committee may grant the omnibus approval for Related Party Transactions proposed to be entered into by the Company or its Subsidiary Company subject to the following conditions:
- a. The Audit Committee shall lay down the criteria for granting omnibus approval in line with this policy and such approval shall be applicable in respect of transactions which are frequent/ regular/ repetitive in nature.
 - b. The Audit Committee shall grant omnibus approval to the transactions which are in the Ordinary Course of Business and the transactions which are on Arm's Length basis.
 - c. The Audit Committee shall grant omnibus approval to all such transactions as the Audit Committee may consider proper.
 - d. The Audit Committee shall satisfy itself the need for such omnibus approval in the best interest of the Company.
 - e. Such Omnibus approval shall specify:
 - (i) the name(s) of the Related Party, nature of transaction, duration/ period of transaction, maximum amount of transaction that can be entered into;
 - (ii) the indicative base price/current contracted price and the formula for variation in the price, if any, and such other conditions as the Audit Committee may deem fit;

Provided that where the need for Related Party Transaction cannot be foreseen and aforesaid details are not available, Audit Committee may grant omnibus approval for such transactions subject to their value not exceeding Rs.1.00 crore per transaction.

- f. The Audit Committee shall review, at least on a quarterly basis, the details of RPTs entered into by the Company or its Subsidiary Company pursuant to each of the omnibus approval given.
- g. The omnibus approval shall be valid for a period not exceeding one financial year and shall require fresh approval after the expiry of one year from the date of approval.

4.2 **Approval of the Board of Directors of the Company**

As per section 188(1) of the Act read with applicable Rules, except with consent of the Board of Directors given by a resolution at a meeting of the Board and subject to such conditions as may be prescribed, no company shall enter into any contract or arrangement with a Related Party with respect to:

- (a) sale, purchase or supply of any goods or materials;
- (b) selling or otherwise disposing of, or buying, property of any kind;
- (c) leasing of property of any kind;
- (d) availing or rendering of any services;
- (e) appointment of any agent for purchase or sale of goods, materials, services or property;
- (f) such Related Party's appointment to any office or place of profit in the Company, its Subsidiary Company or Associate Company: and
- (g) underwriting the subscription of any securities or derivatives thereof, of the Company;

Provided that nothing in this sub-section shall apply to any transactions entered into by the Company in its Ordinary Course of Business other than transaction which are not on Arm's Length basis.

4.3 **Approval of the Shareholders of the Company**

The following transactions require prior approval of shareholders of the Company, as prescribed under Section 188 (1) of the Act, read with Rule 15 of the Companies (Meeting of Board and its Powers) Rules, 2014:

S. No.	Specified RPT(s) u/s 188(1) of the Act	Threshold limits (standalone basis) for approval of Shareholders
a)	sale, purchase or supply of any goods or materials, directly or through appointment of agent	amounting to 10% or more of the turnover of the Company
b)	selling or otherwise disposing of, or buying property of any kind, directly or through appointment of agent	amounting to 10% or more of net worth of the Company
c)	leasing of property of any kind	amounting to 10% or more of turnover of the Company
d)	availing or rendering of any services, directly or through appointment of agent	amounting to 10% or more of the turnover of the Company
e)	such Related Party's appointment to any office or place of profit in the Company, its Subsidiary Company or Associate Company	At a monthly remuneration exceeding Rs. 2.50 lakhs
f)	remuneration for underwriting the subscription of any securities or derivatives thereof, of the Company	Exceeding 1% of the net worth

Provided that nothing in this sub-section shall apply to any transactions entered into by the Company in its Ordinary Course of Business other than transaction which are not on Arm's Length basis.

4.4 In terms of Regulation 23(4) of the Listing Regulations, all Material Related Party Transactions and subsequent Material Modifications thereto shall require prior approval of the shareholders through resolution and no Related Party shall vote to approve such resolutions whether the entity is a Related Party to the particular transaction or not.

4.5 Exemption:

1. Transaction entered into between two public sector companies;
2. Transaction entered into between a holding and its wholly owned subsidiary whose accounts are consolidated with such holding and placed before the shareholders at the general meeting for approval;
3. transactions entered into between two wholly-owned subsidiaries of the listed holding company, whose accounts are consolidated with such holding company and placed before the shareholders at the general meeting for approval;
4. Transactions which are in the nature of payment of statutory dues, statutory fees or statutory charges entered into between an entity on one hand and the Central Government or any State Government or any combination thereof on the other hand;
5. Transactions entered into between a public sector company on one hand and the Central Government or any State Government or any combination thereof on the other hand.

5. REVIEW AND APPROVAL OF RELATED PARTY TRANSACTIONS

5.1 Audit Committee/Board's Approval

The following details/information shall be provided to the Audit Committee/ Board for entering into Related Party Transaction(s) (in case of non-exempted categories of RPT and in case of exempted categories of RPT, as may be required):

- a. Type, material terms and particulars of the proposed transaction;
- b. Name of the Related Party and its relationship with the listed entity or its subsidiary, including nature of its concern or interest (financial or otherwise);
- c. Tenure of the proposed transaction (particular tenure shall be specified);
- d. Value of the proposed transaction;
- e. The percentage of the listed entity's annual consolidated turnover, for the immediately preceding financial year, that is represented by the value of the proposed transaction (and for a RPT involving a subsidiary, such percentage calculated on the basis of the subsidiary's annual turnover on a standalone basis shall be additionally provided);
- f. If the transaction relates to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the listed entity or its subsidiary:
 - (i) details of the source of funds in connection with the proposed transaction;
 - (ii) where any financial indebtedness is incurred to make or give loans, inter-corporate deposits, advances or investments, nature of indebtedness; cost of funds; and tenure;
 - (iii) applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, thenature of security; and
 - (iv) the purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT.
- g. Justification as to why the RPT is in the interest of the listed entity;
- h. A copy of the valuation or other external party report, if any such report has been relied upon;
- i. Percentage of the counter-party's annual consolidated turnover that is represented by the value of the proposed RPT on a voluntary basis;
- j. Any other information that may be relevant

The Audit Committee shall also review the status of long-term (more than one year) or recurring RPTs on an annual basis.

5.2 Factors to be considered by the Audit Committee/ Board

While approving, the Audit Committee/ Board may, inter-alia, consider the following factors:

- a) all relevant facts and circumstances including the terms of the transaction, the business purpose of the transaction, the benefits to the Company and to the Related Party;

- b) whether the terms of the Related Party Transaction are in the Ordinary Course of Business of the Company and are on an Arm's Length basis, at the time of entering into the transaction;
- c) business reasons for the Company to enter into the Related Party Transaction and the nature of alternative transactions, if any;
- d) whether the Related Party Transaction would affect the independence or present a conflict of interest for any Director or KMP of the Company;
- e) Director or KMP shall not participate in any discussion or approval of a Related Party Transaction for which he or she is a Related Party, except that the Director / KMP shall provide all material information concerning the Related Party Transaction to the Audit Committee/ Board;
- f) any other matter the Audit Committee/ Board deems relevant.

7. VOTING

All entities / Members falling under the definition of related parties shall not vote to approve the relevant transaction irrespective of whether the entity is a party to the particular transaction or not.

8. DISCLOSURES

- a. Every Contract or arrangement entered with Related Parties with the approval of Board / Shareholders in line with Section 188 of the Act shall be referred in the Board's Report to the shareholders along with the justification for entering into such contract or arrangements.
- b. The Company shall submit to the stock exchanges disclosures of related party transactions in the format as specified by the Board from time to time, and publish the same on its website.

Provided that the remuneration and sitting fees paid by the Company or its Subsidiary Company to its Director, Key Managerial Personnel or Senior Management, except who is part of promoter or promoter group, shall not require disclosure under Regulation 23(9) provided that the same is not material in terms of the provisions of Regulation 23(1) of Listing Regulations.

Provided further that in terms of the provisions of Regulation 23(2) of Listing Regulations, details of ratification of RPTs are required to be disclosed along with disclosures of RPTs. Accordingly, the value of ratified RPTs shall be disclosed in the format specified for disclosure of RPTs.

- c. The Company shall disclose the Policy on dealing with Related Party Transactions on its website and a web link thereto shall be provided in the Annual Report.
- d. Name of all related parties & nature of relationships & details of all Related Party Transactions should be disclosed in the financial statement as per IndAS 24.
- e. The Company shall keep one or more registers giving separately the particulars of all contracts or arrangements with any Related Party requires approval of the Board.

9. AMENDMENTS

The Audit Committee shall periodically review this Policy and may recommend amendments to this Policy to the Board from time to time as it deems appropriate. The Policy has to be reviewed at least once in every three years.

Any subsequent notification, circular, guideline or amendments under the Act, Listing Regulations, Accounting Standards and all other applicable laws, as may be issued from time to time shall be *mutatis mutandis* applicable to this policy. Such amendment may be carried out in the Policy with the approval of Director (Finance) and Chairman & Managing Director. Any such revision in the policy shall be put up to the Audit Committee and the Board in their next meeting for information.

10. DISCLAIMER

In case of any discrepancy between the above Policy, the Act or the Listing Regulations or any rules or regulations made thereunder or under any other applicable statutory enactment of law, the enacted law / rule / regulation / provision shall prevail over the above Policy. Any subsequent modification / amendment in the Listing Regulations, Act and / or applicable law in this regard shall automatically apply to this Policy.

Summary of the approval and consideration/recommendation mechanism under the Listing Regulations and the Act

Details of Transaction(s) Approving Authority	Details of Transaction(s) Approving Authority
1. All RPTs and any subsequent Material Modification and/or RPT under Omnibus route	Audit Committee (only those members who are Independent Directors)
2. RPTs which are not in Ordinary Course of Business or not on Arm's Length basis or both (below threshold limits)	Recommendation/ Approval by Audit Committee to the Board for approval Approval by the Board
3. Material RPTs & RPT which are not in Ordinary Course of Business or not on Arm's Length basis or both (above threshold limit)	Recommendation/ Approval by Audit Committee to the Board for approval. Recommendation/ Approval by the Board to Shareholders. Approval by the Shareholders
4. Exemptions for Board & Shareholders' Approval in case of S.N. 2 & 3	Between Two public sector companies Between Holding & wholly owned subsidiary companies whose accounts are consolidated. transactions entered into between two wholly-owned subsidiaries of the listed holding company, whose accounts are consolidated with such holding company Transactions which are in the nature of payment of statutory dues, statutory fees or statutory charges entered into between an entity on one hand and the Central Government or any State Government or any combination thereof on the other hand; Transactions entered into between a public sector company on one hand and the Central Government or any State Government or any combination thereof on the other hand



इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड संबंधित पक्ष लेन-देन पॉलिसी

(जवनरी 2025 में अद्यतन किया गया)

1. परिचय

यह नीति कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 23 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई है और समय-समय पर संशोधित की गई है (जिसे आगे "सूचीबद्धता विनियम" कहा जाएगा)।

2. नीति का दायरा और उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य (क) संबद्ध पक्ष लेनदेन के लिए भौतिकता सीमाएं निर्धारित करना; और (ख) अधिनियम और सूचीकरण विनियमों के आधार पर संबद्ध पक्ष लेनदेन से निपटने का तरीका निर्धारित करना है।

3. परिभाषा

3.1 "अधिनियम" का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों से होगा, जिसमें कोई भी संशोधन, स्पष्टीकरण, परिपत्र या पुनः अधिनियमन शामिल होगा।

3.2 "आर्म्स लेंथ ट्रांज़ैक्शन" से तात्पर्य दो संबंधित पक्षों के बीच ऐसे लेनदेन से है जो इस प्रकार संचालित किया जाता है जैसे कि वे असंबंधित हों, ताकि अधिनियम की धारा 188 (1) के स्पष्टीकरण (ख) में परिभाषित हितों का कोई टकराव न हो।

3.3 "सहयोगी कंपनी" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 2(6) या लागू लेखांकन मानकों के तहत परिभाषित सहयोगी कंपनी से है।

3.4 "लेखा परीक्षा समिति या समिति" का तात्पर्य लिस्टिंग विनियमों और अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित कंपनी के निदेशक मंडल की समिति से है।

3.5 "बोर्ड" से तात्पर्य इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशक मंडल से है, जिसका गठन समय-समय पर किया जाता है।

3.6 "कंपनी" का तात्पर्य इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) है।

3.7 "प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 2(51) के तहत परिभाषित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से है।

3.8 "सूचीबद्धता विनियमन" का तात्पर्य समय-समय पर संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 से है।

3.9 लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित संबंधित पक्ष लेनदेन या शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित संबंधित पक्ष लेनदेन के संबंध में "महत्वपूर्ण संशोधन" का अर्थ है लेखा परीक्षा समिति या शेयरधारकों द्वारा पहले से अनुमोदित मौद्रिक सीमाओं पर प्रभाव डालने वाला कोई भी परिवर्तन, जो मूल रूप से अनुमोदित लेनदेन के 25% से अधिक हो।

बशर्ते कि निम्नलिखित के कारण आरपीटी के मूल्य में परिवर्तन को भौतिक संशोधन नहीं माना जाएगा:

1. संबंधित पक्षों के नियंत्रण से परे कारणों से मौजूदा आरपीटी की मात्रा या दर में परिवर्तन; और
2. करों, शुल्कों आदि जैसे वैधानिक शुल्कों के संशोधन/लगाए जाने के कारण परिवर्तन।

3.10 महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन" से तात्पर्य है कि संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन को महत्वपूर्ण माना जाएगा यदि व्यक्तिगत रूप से किया जाने वाला लेनदेन या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ मिलकर, सूचीबद्ध इकाई के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार एक हजार करोड़ रुपये या सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार के दस प्रतिशत से अधिक हो, जो भी कम हो।

उपर्युक्त के बावजूद, ब्रांड उपयोग या रॉयल्टी के संबंध में संबंधित पक्ष को किए गए भुगतान से संबंधित लेनदेन को महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत रूप से किया जाने वाला लेनदेन या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ संयुक्त रूप से किया जाने वाला लेनदेन कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार के 5% से अधिक है।

भौतिक आरपीटी निर्धारित करने के लिए इस उप-सीमा को समग्र 10% सीमा के भीतर माना जाएगा।

3.11 "व्यापार का सामान्य क्रम" में ऐसी गतिविधियाँ शामिल हैं जो व्यवसाय के लिए आवश्यक, सामान्य और प्रासंगिक हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। ये वाणिज्यिक लेन-देन की सामान्य प्रथाएँ और रीति-रिवाज हैं। कानून में, व्यवसाय का सामान्य क्रम किसी खास व्यवसाय और किसी खास फर्म के सामान्य लेन-देन, रीति-रिवाज और प्रथाओं को शामिल करता है। व्यवसाय के सामान्य क्रम को निर्धारित करने के लिए सांकेतिक कारक:

- क) आपके विशेष व्यवसाय के लिए सामान्य या अन्यथा उल्लेखनीय है (अर्थात्, आपके सिस्टम, प्रक्रियाओं, विज्ञापन, स्टाफ प्रशिक्षण, आदि में विशेषताएं);
- ख) लगातार और नियमित है;
- ग) महत्वपूर्ण मात्रा में धन शामिल है;
- घ) आपके व्यवसाय के लिए आय का एक स्रोत है;
- ङ) इसमें संसाधनों का महत्वपूर्ण आवंटन शामिल है;
- च) ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा या उत्पाद में शामिल है;
- छ) एसोसिएशन के ज्ञापन के उद्देश्य खंड में शामिल गतिविधि;

3.12 "नीति" का तात्पर्य इस्कॉन की संबंधित पक्ष लेनदेन नीति से है।

3.13 "संबद्ध पक्ष" का अर्थ समय-समय पर संशोधित लिस्टिंग विनियमों के तहत परिभाषा के अनुसार संबंधित पक्ष है, और इसका अर्थ अधिनियम की धारा 2 (76) या लागू लेखांकन मानकों के तहत परिभाषित है:

बशर्ते कि::

- क) कोई व्यक्ति या संस्था जो कंपनी के प्रमोटर या प्रमोटर समूह का हिस्सा है; या
- ख) कोई भी व्यक्ति या संस्था, जो इक्विटी शेयर रखती है:
 - (i) 20% या उससे अधिक; या
 - (ii) 01.04.2023 से दस प्रतिशत या उससे अधिक।

कंपनी में प्रत्यक्ष रूप से या अधिनियम की धारा 89 के तहत प्रावधानित लाभकारी हित के आधार पर, किसी भी समय, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान;

संबंधित पक्ष माना जाएगा।

3.14 "संबंधित पार्टी लेनदेन" (आरपीटी) का अर्थ समय-समय पर संशोधित लिस्टिंग विनियमन की परिभाषा के अनुसार आरपीटी है, और इसका अर्थ है कोई भी लेनदेन जिसमें संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों का हस्तांतरण शामिल है:

- (i) एक ओर कंपनी या उसकी कोई सहायक कंपनी और दूसरी ओर कंपनी या उसकी किसी सहायक कंपनी का कोई संबद्ध पक्ष; या
- (ii) एक ओर कंपनी या उसकी कोई सहायक कंपनी, दूसरी ओर कोई अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसका उद्देश्य और प्रभाव कंपनी या उसकी किसी सहायक कंपनी के संबंधित पक्ष को लाभ पहुंचाना है, 01.04.2023 से प्रभावी;

इस बात की परवाह किए बिना कि क्या कोई मूल्य लिया गया है और संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन को अनुबंध में एकल लेनदेन या लेनदेन के समूह को शामिल करने के रूप में समझा जाएगा।

बशर्ते कि निम्नलिखित संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं होगा:

- क) सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 के अंतर्गत अपेक्षाओं के अनुपालन के अधीन, अधिमाम्य आधार पर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का निर्गम;
- ख) निम्न लिखित कॉर्पोरेट कार्रवाइयाँ जो सभी शेयरधारकों पर उनकी शेयरधारिता के अनुपात में समान रूप से लागू/प्रस्तावित होती हैं:
- ग) कंपनी या उसकी सहायक कंपनी द्वारा अपने निदेशकों या कर्मचारियों से खुदरा खरीदारी, बिना किसी व्यावसायिक संबंध की स्थापना किए और उन शर्तों पर जो सभी कर्मचारियों और निदेशकों पर समान रूप से लागू/प्रस्तुत की जाती हैं।
 - i. लाभांश का भुगतान;
 - ii. प्रतिभूतियों का उपविभाजन या समेकन;
 - iii. राइट्स इश्यू या बोनस इश्यू के माध्यम से प्रतिभूतियों का निर्गम; तथा
 - iv. प्रतिभूतियों की पुनः खरीद।

3.15 "रिश्तेदार" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 2(77) में परिभाषित रिश्तेदार से है।

3.16 "सहायक कंपनी" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 2(87) में परिभाषित सहायक कंपनी से है।

इस नीति में प्रयुक्त कोई अन्य शब्द या अभिव्यक्ति जो इसमें परिभाषित नहीं है, उसका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में परिभाषित है, जिसमें उसका कोई वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन या उसके अधीन बनाए गए नियम, लिस्टिंग विनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 या डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 और/या उसके अधीन बनाए गए नियम या विनियम या कंपनी पर लागू कोई अन्य प्रासंगिक विधान/कानून शामिल हैं।

4. संबंधित पक्ष लेनदेन का अनुमोदन

4.1 लेखापरीक्षा समिति का अनुमोदन

सभी संबद्ध पक्ष लेन-देन और उसके बाद के भौतिक संशोधनों के लिए लेखा परीक्षा समिति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी और लेखा परीक्षा समिति के केवल वे सदस्य, जो स्वतंत्र निदेशक हैं, ही संबद्ध पक्ष लेन-देन को मंजूरी देंगे।

इसके अलावा, लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 23 (2) के अनुसार:

1. किसी संबद्ध पक्ष लेनदेन, जिसमें इरकॉन की कोई सहायक कंपनी पक्ष है, लेकिन इरकॉन पक्ष नहीं है, के लिए लेखा परीक्षा समिति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी, यदि ऐसे लेनदेन का मूल्य, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से किया गया हो या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ लिया गया हो, सूचीबद्ध इकाई के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक समेकित कारोबार के दस प्रतिशत से अधिक है;
2. 01.04.2023 से, संबंधित पक्ष लेनदेन, जिसमें इरकॉन की कोई सहायक कंपनी एक पक्ष है, लेकिन इरकॉन एक पक्ष नहीं है, को लेखा परीक्षा समिति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी, यदि ऐसे लेनदेन का मूल्य, चाहे व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया गया हो या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ लिया गया हो, सहायक कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक एकल कारोबार के दस प्रतिशत से अधिक है;
3. हालांकि, यदि इरकॉन की सूचीबद्ध सहायक कंपनी (जहां इरकॉन पक्ष नहीं है) से संबंधित पार्टी लेन-देन होता है, तो इरकॉन की सूचीबद्ध सहायक कंपनी की लेखापरीक्षा समिति की पूर्व अनुमोदन पर्याप्त होगा।
4. कंपनी या उसकी सहायक कंपनी द्वारा अपने निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों या वरिष्ठ प्रबंधन को दी जाने वाली वेतन और बैठक शुल्क, सिवाय उन व्यक्तियों के जो प्रमोटर या प्रमोटर समूह का हिस्सा हैं, को लेखापरीक्षा समिति की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि यह सूचीबद्ध नियमों के विनियमन 23(1) के प्रावधानों के अनुसार सामग्री न हो।
- 4.5 लेखापरीक्षा समिति के वे सदस्य, जो स्वतंत्र निदेशक हैं, वे संबंधित पार्टी लेन-देन को लेन-देन की तारीख से तीन महीने के भीतर या लेखापरीक्षा समिति की अगली बैठक में, जो भी पहले हो, अनुमोदित कर सकते हैं, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

- (i) एक वित्तीय वर्ष में संबंधित पार्टी के साथ अनुमोदित लेन-देन का मूल्य, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से किया गया हो या एक साथ लिया गया हो, एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा;
- (ii) लेन-देन सूचीबद्ध नियमों के विनियमन 23(1) के प्रावधानों के अनुसार सामग्री नहीं है;
- (iii) लेन-देन के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थता का कारण लेखापरीक्षा समिति के समक्ष अनुमोदन प्राप्त करने के समय प्रस्तुत किया जाएगा;
- (iv) अनुमोदन की जानकारी सूचीबद्ध नियमों के विनियमन 23(9) के प्रावधानों के तहत संबंधित पार्टी लेन-देन के प्रकटीकरण के साथ दी जाएगी;
- (v) लेखापरीक्षा समिति द्वारा निर्धारित कोई अन्य शर्त:

यदि लेखापरीक्षा समिति से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो यह लेन-देन लेखापरीक्षा समिति के विकल्प पर अमान्य हो सकता है, और यदि यह लेन-देन किसी निदेशक से संबंधित पार्टी के साथ किया गया हो, या किसी अन्य निदेशक द्वारा अधिकृत किया गया हो, तो संबंधित निदेशक(गण) कंपनी को हुए किसी भी नुकसान के लिए मुआवजा देंगे।

हालांकि, इरकॉन की सूचीबद्ध सहायक कंपनी (जहां इरकॉन पक्ष नहीं है) के संबद्ध पक्ष लेनदेन के मामले में, इरकॉन की सूचीबद्ध सहायक कंपनी की लेखा परीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन पर्याप्त होगा।

5.6. हालांकि, कंपनियों (निदेशक मंडल की बैठकें और इसके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 6क, जैसा

कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, और सूचीबद्ध नियमों के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति कंपनी या उसकी सहायक कंपनी द्वारा प्रस्तावित संबंधित पार्टी लेन-देन के लिए समग्र अनुमोदन प्रदान कर सकती है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

- क) लेखापरीक्षा समिति इस नीति के अनुरूप सर्वव्यापक अनुमोदन प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित करेगी और ऐसा अनुमोदन उन लेनदेन के संबंध में लागू होगा जो प्रकृति में लगातार/नियमित/पुनरावर्ती हैं।
- ख) लेखापरीक्षा समिति उन लेन-देनों को सर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान करेगी जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में हैं और जो लेन-देन आर्म्स लेंथ आधार पर हैं।
- ग) लेखापरीक्षा समिति ऐसे सभी लेन-देनों को व्यापक अनुमोदन प्रदान करेगी जिन्हें लेखापरीक्षा समिति उचित समझे।
- घ) लेखापरीक्षा समिति कंपनी के सर्वोत्तम हित में इस तरह के सर्वव्यापी अनुमोदन की आवश्यकता पर स्वयं संतुष्ट होगी।
- ङ) ऐसे सर्वग्राही अनुमोदन में निम्नलिखित निर्दिष्ट किया जाएगा:
 - (i) संबंधित पक्ष का नाम, लेन-देन की प्रकृति, लेन-देन की अवधि/अवधि, किए जा सकने वाले लेन-देन की अधिकतम राशि;
 - (ii) सांकेतिक आधार मूल्य/वर्तमान अनुबंधित मूल्य और मूल्य में परिवर्तन के लिए सूत्र, यदि कोई हो, तथा ऐसी अन्य शर्तें जिन्हें लेखापरीक्षा समिति उचित समझे;

बशर्ते कि जहां संबद्ध पक्ष लेनदेन की आवश्यकता का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है और पूर्वोक्त विवरण उपलब्ध नहीं हैं, लेखापरीक्षा समिति ऐसे लेनदेन के लिए सर्वग्राही अनुमोदन प्रदान कर सकती है, बशर्ते कि उनका मूल्य प्रति लेनदेन 1.00 करोड़ रुपये से अधिक न हो।

- च) लेखापरीक्षा समिति प्रत्येक समग्र अनुमोदन के तहत कंपनी या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए संबंधित पार्टी लेन-देन का विवरण कम से कम तिमाही आधार पर समीक्षा करेगी।
- छ) सर्वव्यापक अनुमोदन एक वित्तीय वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वैध होगा तथा अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात नए अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

4.2 कंपनी के निदेशक मंडल का अनुमोदन

अधिनियम की धारा 188(1) के अनुसार, लागू नियमों के साथ, निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्ताव द्वारा दी गई सहमति के अलावा और निर्धारित शर्तों के अधीन, कोई भी कंपनी निम्नलिखित के संबंध में किसी संबद्ध पक्ष के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं करेगी:

- क) किसी भी माल या सामग्री की बिक्री, खरीद या आपूर्ति;
- ख) किसी भी प्रकार की संपत्ति बेचना या अन्यथा निपटाना, या खरीदना;
- ग) किसी भी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना;
- घ) किसी भी सेवा का लाभ उठाना या प्रदान करना;
- ङ) माल, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति;
- च) ऐसे संबद्ध पक्ष की कंपनी, उसकी सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी में किसी पद या लाभ के स्थान पर नियुक्ति; और
- छ) कंपनी की किसी भी प्रतिभूति या उसके व्युत्पन्न की सदस्यता का जोखिम उठाना;

बशर्ते कि इस उपधारा में कोई भी बात कंपनी द्वारा अपने सामान्य व्यवसाय के दौरान किए गए किसी भी

लेनदेन पर लागू नहीं होगी, सिवाय उन लेनदेन के जो आर्म्स लेंथ आधार पर नहीं हैं।

4.3 कंपनी के शेयरधारकों का अनुमोदन

निम्नलिखित लेनदेन के लिए कंपनी के शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, जैसा कि अधिनियम की धारा 188 (1) के तहत निर्धारित है, जिसे कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 15 के साथ पढ़ा जाए:

क्र.सं.	अधिनियम की धारा 188(1) के तहत निर्दिष्ट आरपीटी(एस)	शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए सीमा (स्टैंडअलोन आधार)
क)	किसी भी सामान या सामग्री की बिक्री, खरीद या आपूर्ति, सीधे या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से	कंपनी के टर्नओवर का 10% या उससे अधिक
ख)	किसी भी प्रकार की संपत्ति को बेचना या अन्यथा निपटाना, या सीधे या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से खरीदना	कंपनी की निवल संपत्ति का 10% या उससे अधिक
ग)	किसी भी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना	कंपनी के टर्नओवर का 10% या उससे अधिक
घ)	किसी भी सेवा का लाभ उठाना या प्रदान करना, सीधे या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से	कंपनी के टर्नओवर का 10% या उससे अधिक
च	ऐसे संबंधित पक्ष की कंपनी, उसकी सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी में किसी पद या लाभ के स्थान पर नियुक्ति	2.50 लाख रुपये से अधिक मासिक पारिश्रमिक पर
छ	कंपनी की किसी भी प्रतिभूति या उसके डेरिवेटिव की सदस्यता के लिए पारिश्रमिक	निवल संपत्ति का 1% से अधिक

बशर्ते कि इस उपधारा में कोई भी बात कंपनी द्वारा अपने सामान्य व्यवसाय के दौरान किए गए किसी भी लेनदेन पर लागू नहीं होगी, सिवाय उन लेनदेन के जो आर्म्स लेंथ आधार पर नहीं हैं।

4.4 लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 23(4) के अनुसार, सभी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन और उसके बाद के महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी और कोई भी संबंधित पक्ष ऐसे प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेगा, चाहे इकाई विशेष लेनदेन के लिए संबंधित पक्ष हो या नहीं।

4.5 छूट:

1. दो कंपनियों के बीच किए गए लेन-देन,;
2. किसी होल्डिंग और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच किया गया लेन-देन, जिसके खाते ऐसी होल्डिंग के साथ समेकित किए जाते हैं और अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखे जाते हैं;
3. सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच किए गए लेन-देन, जिनके खाते ऐसी होल्डिंग कंपनी के साथ समेकित किए जाते हैं और अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखे जाते हैं;

4. वे लेन-देन जो वैधानिक शुल्कों, वैधानिक शुल्कों या वैधानिक भुगतान की प्रकृति में होते हैं, जो एक ओर किसी संस्था और दूसरी ओर केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या उनके संयोजन के बीच किए जाते हैं;
5. वे लेन-देन जो एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी और दूसरी ओर केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या उनके संयोजन के बीच किए जाते हैं।

5. संबंधित पक्ष लेनदेन की समीक्षा और अनुमोदन

5.1 लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड का अनुमोदन

संबंधित पक्ष लेनदेन में प्रवेश करने के लिए लेखापरीक्षा समिति/बोर्ड को निम्नलिखित विवरण/सूचना प्रदान की जाएगी (आरपीटी की गैर-छूट प्राप्त श्रेणियों के मामले में तथा आरपीटी की छूट प्राप्त श्रेणियों के मामले में, जैसा भी आवश्यक हो):

- क) प्रस्तावित लेनदेन का प्रकार, सामग्री शर्तें और विवरण;
- ख) संबंधित पक्ष का नाम और सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी के साथ उसका संबंध, जिसमें उसकी चिंता या रुचि (वित्तीय या अन्यथा) की प्रकृति शामिल है;
- ग) प्रस्तावित लेनदेन की अवधि (विशेष अवधि निर्दिष्ट की जाएगी);
- घ) प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य;
- ङ) तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, जो प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य द्वारा दर्शाया जाता है (और सहायक कंपनी को शामिल करने वाले आरपीटी के लिए, एकल आधार पर सहायक कंपनी के वार्षिक कारोबार के आधार पर गणना की गई ऐसी प्रतिशतता अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाएगी);
- च) यदि लेन-देन सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित है:
 - I. प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में धन के स्रोत का ब्यौरा;
 - II. जहां कोई वित्तीय ऋण ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश करने या देने के लिए लिया जाता है, ऋण की प्रकृति; निधियों की लागत; और कार्यकाल;
 - III. लागू शर्तें, जिनमें अनुबंध, अवधि, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची शामिल हैं, चाहे सुरक्षित हो या असुरक्षित; यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति; और
 - IV. वह उद्देश्य जिसके लिए आरपीटी के अनुसरण में निधियों का उपयोग अंतिम लाभार्थी द्वारा किया जाएगा।
- छ) आरपीटी सूचीबद्ध इकाई के हित में क्यों है, इसका औचित्य;
- ज) मूल्यांकन या अन्य बाह्य पार्टी रिपोर्ट की प्रति, यदि ऐसी किसी रिपोर्ट पर भरोसा किया गया हो;
- झ) प्रतिपक्ष के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत जो स्वैच्छिक आधार पर प्रस्तावित आरपीटी के मूल्य द्वारा दर्शाया जाता है;
- ञ) कोई अन्य जानकारी जो प्रासंगिक हो सकती है

लेखापरीक्षा समिति दीर्घकालिक (एक वर्ष से अधिक) या आवर्ती आरपीटी की स्थिति की भी वार्षिक आधार पर समीक्षा करेगी।

5.2 लेखापरीक्षा समिति/बोर्ड द्वारा विचार किए जाने वाले कारक

अनुमोदन करते समय लेखापरीक्षा समिति/बोर्ड, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कारकों पर विचार कर सकता है:

- क) लेनदेन की शर्तों, लेनदेन का व्यावसायिक उद्देश्य, कंपनी और संबंधित पक्ष को होने वाले लाभ सहित सभी प्रासंगिक तथ्य और परिस्थितियां;
- ख) क्या संबद्ध पक्ष लेनदेन की शर्तों कंपनी के व्यवसाय के सामान्य क्रम में हैं और लेनदेन में प्रवेश करते समय आर्म्स लेंथ आधार पर हैं;
- ग) कंपनी द्वारा संबंधित पक्ष लेनदेन में प्रवेश करने के लिए व्यावसायिक कारण और वैकल्पिक लेनदेन की प्रकृति, यदि कोई हो;
- घ) क्या संबंधित पक्ष लेनदेन कंपनी के किसी निदेशक या केएमपी की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा या हितों का टकराव उत्पन्न करेगा;
- ङ) निदेशक या केएमपी किसी संबंधित पक्ष लेनदेन की किसी चर्चा या अनुमोदन में भाग नहीं लेंगे, जिसके लिए वे संबंधित पक्ष हैं, सिवाय इसके कि निदेशक/केएमपी संबंधित पक्ष लेनदेन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड को प्रदान करेंगे;
- च) कोई अन्य मामला जिसे लेखापरीक्षा समिति/बोर्ड प्रासंगिक समझे।

6. वोटिंग

संबंधित पक्षों की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाएं/सदस्य संबंधित लेनदेन को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे, भले ही वह संस्था उस विशेष लेनदेन में पक्ष हो या नहीं।

7. प्रकटीकरण

- क) अधिनियम की धारा 188 के अनुरूप बोर्ड/शेयरधारकों के अनुमोदन से संबद्ध पक्षों के साथ किए गए प्रत्येक अनुबंध या व्यवस्था को बोर्ड की रिपोर्ट में शेयरधारकों को संदर्भित किया जाएगा तथा साथ ही ऐसे अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करने का औचित्य भी बताया जाएगा।
- ख) कंपनी समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में संबंधित पार्टि लेनदेन के खुलासे स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत करेगी और उसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी।
- ग) कंपनी अपनी वेबसाइट पर संबंधित पक्ष लेनदेन से निपटने की नीति का खुलासा करेगी और वार्षिक रिपोर्ट में इसके लिए एक वेब लिंक प्रदान किया जाएगा।
- घ) सभी संबंधित पक्षों का नाम और संबंधों की प्रकृति और सभी संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार वित्तीय विवरण में प्रकट किया जाना चाहिए।
- ङ) कंपनी एक या एक से अधिक रजिस्टर रखेगी जिसमें किसी भी संबद्ध पक्ष के साथ सभी अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण अलग से दिया जाएगा जिसके लिए बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

8. प्रकटीकरण

क. हर वह अनुबंध या समझौता, जो संबंधित पार्टियों के साथ अधिनियम की धारा 188 के अनुसार बोर्ड/शेयरधारकों की स्वीकृति से किया गया हो, उसे बोर्ड की रिपोर्ट में शेयरधारकों के समक्ष संदर्भित किया

जाएगा, साथ ही उस अनुबंध या समझौते में प्रवेश करने का औचित्य भी प्रदान किया जाएगा।
ख. कंपनी, समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में संबंधित पार्टि लेन-देन का प्रकटीकरण स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत करेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी।

यह शर्त लागू है कि कंपनी या उसकी सहायक कंपनी द्वारा अपने निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कर्मी या वरिष्ठ प्रबंधन को दी जाने वाली वेतन और बैठक शुल्क, सिवाय उन व्यक्तियों के जो प्रमोटर या प्रमोटर समूह का हिस्सा हैं, को विनियमन 23(9) के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि यह लिस्टिंग नियमों के विनियमन 23(1) के प्रावधानों के अनुसार सामग्री न हो।

अतिरिक्त रूप से, सूचीबद्ध नियमों के विनियमन 23(2) के अनुसार, आरपीटीएस के अनुमोदन का विवरण आरपीटीएस के प्रकटीकरण के साथ प्रदान किया जाएगा। तदनुसार, अनुमोदित आरपीटी का मूल्य RPTs के प्रकटीकरण के लिए निर्दिष्ट प्रारूप में दर्शाया जाएगा।

ग. कंपनी अपनी संबंधित पार्टि लेन-देन पर नीति को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी और इसके लिए एक वेब लिंक वार्षिक रिपोर्ट में प्रदान किया जाएगा।

घ. सभी संबंधित पार्टियों के नाम, उनके रिश्ते की प्रकृति और सभी संबंधित पार्टि लेन-देन का विवरण वित्तीय विवरणों में इंड 24 के अनुसार प्रकटित किया जाएगा।

घ. कंपनी सभी अनुबंधों या समझौतों का एक या एक से अधिक रजिस्टर रखेगी, जिसमें किसी भी संबंधित पार्टि के साथ किए गए सभी अनुबंधों या समझौतों का विवरण दिया जाएगा, जिन्हें बोर्ड की स्वीकृति की आवश्यकता हो।

9. संशोधन

लेखापरीक्षा समिति समय-समय पर इस नीति की समीक्षा करेगी तथा समय-समय पर बोर्ड को इस नीति में संशोधन की सिफारिश कर सकती है, जैसा कि वह उचित समझे। नीति की समीक्षा प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार की जानी चाहिए।

अधिनियम, लिस्टिंग विनियमन, लेखा मानकों तथा अन्य सभी लागू कानूनों के अंतर्गत कोई भी अधिसूचना, परिपत्र, दिशानिर्देश या संशोधन, जो समय-समय पर जारी किए जा सकते हैं, यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस नीति पर लागू होंगे। नीति में ऐसा संशोधन निदेशक (वित्त) तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से किया जा सकता है। नीति में ऐसा कोई भी संशोधन लेखापरीक्षा समिति तथा बोर्ड के समक्ष उनकी अगली बैठक में सूचना के लिए रखा जाएगा।

10. अस्वीकार

उपरोक्त नीति, अधिनियम या लिस्टिंग विनियमन या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या विनियमन या किसी अन्य लागू वैधानिक कानून के तहत किसी भी विसंगति के मामले में, अधिनियमित कानून / नियम / विनियमन / प्रावधान उपरोक्त नीति पर लागू होंगे। इस संबंध में लिस्टिंग विनियमन, अधिनियम और / या लागू कानून में कोई भी बाद में संशोधन / संशोधन स्वचालित रूप से इस नीति पर लागू होगा।

लिस्टिंग विनियमन और अधिनियम के तहत अनुमोदन और विचार/अनुशंसा तंत्र का सारांश

लेन-देन का विवरण अनुमोदन करने वाला प्राधिकरण	लेन-देन का विवरण अनुमोदन करने वाला प्राधिकरण
1. सभी आरपीटी और उसके बाद कोई भी सामग्री संशोधन और/या ओमनीबस मार्ग के अंतर्गत आरपीटी	लेखापरीक्षा समिति (केवल वे सदस्य जो स्वतंत्र निदेशक हैं)
2. आरपीटी जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं हैं या आर्म्स लेंथ आधार पर नहीं हैं या दोनों (सीमा से नीचे)	अनुमोदन हेतु बोर्ड को लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुशंसा/अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदन
3. भौतिक आरपीटी और आरपीटी जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं हैं या आर्म्स लेंथ आधार पर नहीं हैं या दोनों (सीमा से ऊपर)	लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन हेतु बोर्ड को सिफारिश/अनुमोदन। बोर्ड द्वारा शेयरधारकों को अनुशंसा/अनुमोदन। शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन
4. एस.एन. 2 और 3 के मामले में बोर्ड और शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए छूट	दो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बीच किए गए लेन-देन होल्टिंग और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच जिनके खाते समेकित हैं। सूचीबद्ध होल्टिंग कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच किए गए लेनदेन, जिनके खाते ऐसी होल्टिंग कंपनी के साथ समेकित हैं वे लेन-देन जो वैधानिक शुल्कों, वैधानिक शुल्कों या वैधानिक देनदारियों की प्रकृति में होते हैं, जो एक ओर किसी संस्था और दूसरी ओर केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या उनके संयोजन के बीच किए जाते हैं; वे लेन-देन जो एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी और दूसरी ओर केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या उनके संयोजन के बीच किए जाते हैं।
